समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः—68(आ0)/पं0रा0, दिनांकः—10.03.2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—2021 में मांग संख्याः—16, विपत्र कोडः—16—2015001090002 मुख्य शीर्ष —2015— निर्वाचन— उप मुख्य शीर्ष —00 लघु शीर्ष — 109 — पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार —उप शीर्ष— 0002— जिला परिषदों / पंचायत समितियों/ ग्राम पंचायतों का चुनाव " के विषय शीर्ष — 0002.13.01 कार्यालय व्यय" ईकाई एवं —0002—11—01 यात्रा व्यय" ईकाई मद में निम्नरूप में आवंटन प्राप्त कराया गया है।

(1) 13—01 कार्यालय व्यय ईकाई में इस जिला को तत्काल अनुमानित 1475 मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर प्रति मतदान केन्द्र ₹ 11,000.00(ग्यारह हजार) मात्र की दर से कुल — ₹ 1,62,25,000.00 (एक करोड़ बासठ लाख पच्चीस हजार) का आवंटन प्राप्त हुआ है।

(2) 11—01 यात्रा व्यय ईकाई में इस जिला को तत्काल अनुमानित 1475 मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर प्रति मतदान केन्द्र ₹ 10,291.00(दस हजार दो सौ एकान्बे) मात्र की दर से कुलः— ₹1,51,79,225.00 (एक करोड़ एकावन लाख उन्नासी हजार दो सौ पच्चीस रूपये) का आवंटन प्राप्त हुआ है।

जिसे अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 2309/वि0,दिनांक 25.03.2021 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांकः— 2135/पं0रा0, दिनांकः—26.03.2021 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में अधोलिखित पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ 3 एवं 4 में अंकित राशि कुल 1475 मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर निकासी हेतु उपावंटित किया जाता है :—

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	0002—13—01 कार्यालय व्यय ईकाई में	0002—11—01 यात्रा व्यय ईकाई में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	नजारत उपसमाहर्त्ता, जिला नजारत शाखा, मुंगेर	₹ 1,62,25,000.00	₹ 1,51,79,225.00	
	कुल योग —	₹ 1,62,25,000.00 (एक करोड़ बासठ लाख पच्चीस हजार)	₹ 1,51,79,225.00 (एक करोड़ एकावन लाख उन्नासी हजार दो सौ पच्चीस रूपये)	

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 दिनांक—17.04.1998 के आलोक में विभागीय पत्रांक—383 दिनांक—20.03.2020 एवं 299 दिनांक—04.03.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय। अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 2309/वि0,दिनांक 25.03.2021 द्वारा उक्त राशि की अग्रिम निकासी हेतु सहमति एवं प्रतिशत बंधेज को इस शर्त्त के साथ शिथिल किया गया है। राशि की अग्रिम निकासी कर के पी0डी0 खाते से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। तथा उसका लेखा अलग संधारित कर ससमय यू0सी0 महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही किया जाय, यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर, ईकाईयों का कोड एवं मांग संख्या

अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय। ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अवलिंब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0– तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि की निकासी दिनांक–31.03.2021 तक निश्चित रूप से निकासी करते हुए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–31.03.2021 के अपराह्न 4 बजे तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/=

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 838 / पं0,दिनांक 30/03/2021

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर / नजारत उपसमाहर्त्ता, जिला नजारत शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इन उपावंटन आदेश को मुंगेर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– श्री जगनारायण राय, मेकर, (सी0एफ0एम0एस0) जिला स्थापना शाखा, मुंगेर, को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

प्रतिलिपिः– अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–06/68(आ0)/ पं0रा0, दिनांक–10.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः–81(आ0)/पं0रा0, दिनांकः–17.03.2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 में मांग संख्याः–16, विपत्र कोडः–**16–2015001090002** मुख्य शीर्ष –2015– निर्वाचन– उप मुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष – 109 – पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार –उप शीर्ष– 0002– जिला परिषदों / पंचायत समितियों/ ग्राम पंचायतों का चुनाव " के विषय शीर्ष – 0002.13.01 कार्यालय व्यय" ईकाई मद में निम्नरूप में आवंटन प्राप्त कराया गया है।

उक्त विषय शीर्ष 13–01 कार्यालय व्यय ईकाई में इस जिला को जिला स्तर पर व्यय किये जानेवाले निर्वाचन कार्यो के लिए कुल– ₹ 5,60,000.00 (पॉच लाख साठ हजार) का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 2309/वि0,दिनांक 25.03.2021 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांकः– 2135/पं0रा0, दिनांकः–26.03.2021 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में अधोलिखित पदाधिकारी को उनके नाम से सामने स्तम्भ 3 में अंकित राशि को उपावंटित किया जाता है :–

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	0002–13–01 कार्यालय व्यय ईकाई में	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1	नजारत उपसमाहर्त्ता, जिला नजारत शाखा, मुंगेर	₹ 5,60,000.00	
	कुल योग –	₹ 5,60,000.00 (पॉच लाख साठ हजार)	

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में विभागीय पत्रांक– 383 दिनांक–20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जा रहा है, एवं अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 2309/वि0,दिनांक 25.03.2021 द्वारा राशि की अग्रिम निकासी हेतु सहमति एवं प्रतिशत बंधेज को इस शर्त्त के साथ शिथिल किया गया है। राशि की अग्रिम निकासी कर के अद्योहस्ताक्षरी के पी0डी0 खाते से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। तथा उसका लेखा अलग संधारित कर ससमय यू0सी0 महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही किया जाय, यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर, ईकाईयों का कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय। ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अवलिंब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0– तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि की निकासी दिनांक–31.03.2021 तक निश्चित रूप से निकासी करते हुए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–31.03.2021 के अपराह्न 4 बजे तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 837 /पं0,दिनांक 30/03/2021।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर/ नजारत उपसमाहर्त्ता, जिला नजारत शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इन उपावंटन आदेश को मुंगेर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– श्री जगनारायण राय, मेकर, (सी0एफ0एम0एस0) जिला स्थापना शाखा मुंगेर को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

प्रतिलिपिः– अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–5प/स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय–01–06/81(आ0)/ पं0रा0, दिनांक–10.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।